



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0- 03-49

क्रमांक- 293/2018

आरबीई सं0-176/2017

सं0 ई/9/18/भाग-1/IV

दिनांक 2-03-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना-आऊट टर्न भत्ता को समाप्त करना।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(पी एण्ड ए)1-2017-VII सीपीसी/एल-1 दिनांक 28.11.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

21/03/18
(आर0के0पी0ण्डेय)
सकाधि/मुख्या0-11
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे भजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

द.प. 2/3/18
दिनांक

21/03/18
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

PCPD, PFA

महानगरपालिका कार्यालय
चौमाल, नारायणपुर

13 DEC 2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

By: CPO/174

पीसी-VII सं. 78

आरबीई सं. 176 /2017

नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2017

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/VII सीपीसी/एल -1

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना - आउट-टर्न भत्ता को समाप्त करना।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति 01 जुलाई, 2017 से आउट-टर्न भत्ता को सहर्ष समाप्त करने का विनिश्चय करते हैं।

- इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- कृपया पावती दें।

CHS/Railway
20.12.17

अनिल कुमार

(अनिल कुमार)

उप निदेशक/स्था. (पी एण्ड ए)-I

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/VII सीपीसी/एल -1

नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2017

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

श्री. अनिल कुमार

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/VII सीपीसी/एल -1

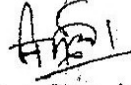
नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

- जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

189
2/12/17

7. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, इण्डियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन।
11. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
13. ऑल इण्डिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज एसोसिएशन।
14. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।
15. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।


कृते सचिव, रेलवे बोर्ड